

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्थाठा 02/02-03/2016/...36..... /पटना, दिनांक...27.03.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),

निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद एवं मधेपुरा।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय के बहन हेतु मुख्य शीर्ष-3454 के उपशीर्ष-0001- प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत कुल कुल ₹ 6,61,000/- (छः लाख इक्कसठ हजार) रुपये का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-09/2014-2793/वी० दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट में प्रावधानित राशि से योजना/गैर योजना मद में राशि आवंटित/व्यय किया जा सकता है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0001-प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-N/3454022040001 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जहानाबाद एवं मधेपुरा होंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वारा व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित पत्रांक- एम-4-09/2014-2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572/वी० दिनांक 03.06.2016 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

बजट

प्रशाखा

सहायक

वरीय संयुक्त निदेशक

सहायक

पदाधिकारी

निदेशक

विश्वासभाजन

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक 36 /पटना, दिनांक 27-03-17

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक

ज्ञापांक 36 /पटना, दिनांक 27-03-17

प्रतिलिपि: 1. जिला कोषागार पदाधिकारी जहानाबाद एवं मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक 36 /पटना, दिनांक 27-03-17

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)
 2. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
 4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कर्नीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक

आवंटन विवरणी

मुख्य शोर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शोर्ष- 0001- प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शोर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी | मांग सं0 35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिह्वे	आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	जीवन यापन भता	01-03	जीवन यापन भता	01-04	मकान किराया भता	01-05	परिवहन भता	01-06	चिकित्सा भता	01-07	अन्य भता	भते	वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूति	06-01	योग- वाता व्यय	11-01	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
जिला सांख्यिकी कार्यालय																					
1	जहानाबाद	150000	200000	7500	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359900
2	मध्यपुरा	126000	167400	6300	-	1400	-	1400	-	1400	-	301100	-	-	-	-	-	-	-	-	301100
	कुल योग:-	276000	367400	13800	2400	1400	0	1400	0	1400	0	661000	0	0	0	0	0	0	0	0	661000

(इ: लाख इकायक संठ हजार रुपये) मात्र।


सहायक
निदेशक


प्रशाखा पदाधिकारी
वरीय संयुक्त निदेशक


बजट सहायक
निदेशक


निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय